रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122025-268401
CG-DL-E-10122025-268401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 805] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947
No. 805] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 891(अ).— केंद्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खंड (यञ) के साथ पठित धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् , बैंककारी विनियम (सहकारी सोसाइटी) नियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बैंककारी विनियम (सहकारी सोसाइटी) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये 15 दिसंबर, 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. बैंककारी विनियम (सहकारी सोसाइटी) नियम, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 2 में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा,अर्थात् :-

"(कक) "अपात्र निदेशक" से वह निदेशक अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है ।";

3. उक्त नियमों में,--

(क) नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"5-क. उस निदेशक या व्यक्ति के लॉट निकालने का अवधारण करने की रीति जो पद पर नहीं रहेगा या निदेशक बोर्ड की सदस्यता से हटाया जाएगा--

(1) निदेशक बोर्ड अपात्र निदेशकों मे से उस निदेशक या उन निदेशकों की संख्या सुनिश्चित करेगा, जो इन नियमों के उप-नियम (3) के अनुसार, अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3) के अधीन निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए, पदधारण नहीं कर पाएंगे।

(2) रिजर्व बैंक अपात्र निदेशकों में से उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की संख्या सुनिश्चित करेगा, जो इन नियमों के उप-नियम (3) के अनुसार, अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (5) के अनुसरण में निदेशक बोर्ड की संरचना के प्रयोजन के लिए निदेशक बोर्ड की सदस्यता से हटाए जाने हैं।

(3) यथास्थिति, निदेशक या निदेशकों और व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, जो उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन, यथास्थिति, पदधारण नहीं करेंगे या निदेशक बोर्ड की सदस्यता से हटाए जाएंगे, यथास्थिति, अपात्र निदेशकों या व्यक्तियों से लॉट निकाल कर अवधारित किया जाएगा ।

(4) उपनियम (3) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा,अर्थात् :--

(क) अपात्र निदेशकों के नाम उस अवधि के अनुसार समूहबद्ध किए जाएंगे, जिसके लिए निदेशक पदधारण करते हैं ;

(ख) यदि ऐसे केवल दो समूह हैं तो पद की लघुत्तर अवधि का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह में निदेशकों के नाम अपवर्जित किए जाएंगे ;

(ग) यदि ऐसे दो से अधिक समूह हैं तो पद की लघुतम अवधि का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों के नाम अपवर्जित किए जाएंगे ;

परंतु खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन ऐसा अपवर्जन नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा उन निदेशकों की संख्या, जिनके नाम ड्रा में सम्मिलित नहीं किए जाने हैं, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन अवधारित संख्या से अधिक नहीं होगा ।

(5) अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3) के अनुसरण में लॉट निकालने का कार्य ऐसे बोर्ड की बैठक में निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(6) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन रिजर्व बैंक के लॉट निकालने का कार्य लॉट निकालने के समय सहकारी बैंक के निदेशक या अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करने का सहकारी बैंक को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इस निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।"

(ख) नियम 11 का लोप किया जाएगा ।

(ग) प्ररूप 1 में,--

(i) “कारबार की समाप्ति पर” शीर्षक के अधीन, “पहले आनुकल्पिक शुक्रवार”, “दूसरे आनुकल्पिक शुक्रवार” और “तीसरे आनुकल्पिक शुक्रवार” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“क्रमश:, “मास का पन्द्रहवां दिन”, और, “मास का अंतिम दिन” ।;

(ii) भाग क में,--

(क) खंड I के उपखंड (क) की मद (i) में, “समनुषंगी बैंकों और” शब्दों का लोप किया जाएगा और “तत्स्थानी नए बैंकों”, शब्दों के पश्चात् “तथा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।”;

(ख) खंड III के उपखंड (क) में, “समनुषंगी बैंको और”, शब्दों का लोप किया जाएगा तथा, “तत्स्थानी नए बैंकों”, शब्दों के पश्चात् “तथा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।”;

(iii) भाग ख में, खंड (ix) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“IX. रिजर्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित, द्वितीय पूर्ववर्ती पखवाडे के अंतिम दिन को, IV का ऐसा प्रतिशत।”;

(iv) भाग ग में, खंड XI के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“XI. रिजर्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित, द्वितीय पूर्ववर्ती पखवाडे के अंतिम दिन को, IV का ऐसा प्रतिशत।”;

(v) भाग घ में,--

(क) खंड XIII के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“XIII. रिजर्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित, द्वितीय पूर्ववर्ती पखवाडे के अंतिम दिन को, IV का ऐसा प्रतिशत;

(ख) खंड XIV में, उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(च) स्थायी जमा सुविधा स्कीम के अधीन रिजर्व बैंक में जमा रकम ।”;

(vi) खंड XIV के पश्चात्, पाद टिप्पण में,--

(क) पाद टिप्पण 2 में, “कोई आनुकल्पिक शुक्रवार” शब्दों के स्थान पर, “मास का 15वां या अंतिम दिन”, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पाद टिप्पण 4$ में, क्रम सं. (ii) का लोप किया जाएगा ;

(ग) पाद टिप्पण 5X में, “भारतीय औद्योगिक विकास बैंक” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय आवास बैंक, लघु उद्योग बैंक” शब्द रखे जाएंगे ।

(घ) प्ररूप IX में,--

(i) "अंतिम शुक्रवार को" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "मास के अंतिम दिन को" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड क में,--

(क) उपखंड (4) की मद (ग) की उपमद (iii) का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपखंड (5) की मद (ग) की उपमद (iii) का लोप किया जाएगा ।

(iii) खंड ख में,--

(क) उपखंड (2) में, मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(ख) भारतीय स्टेट बैंक के पास ।";

(ख) उपखंड (3) में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(क) भारतीय स्टेट बैंक के पास ।";

(ग) उपखंड (4) में, मद (छ) की उपमद (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) भारतीय स्टेट बैंक ।";

(घ) "शुक्रवार", शब्द के स्थान पर, "दिन" शब्द रखा जाएगा ।"।

[फा. सं. 7/19/2023 (भाग-II)-बीओए-I]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 3 दिसंबर, 1966 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1837, तारीख 21 नवंबर, 1966 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें पश्चातवर्ती संशोधन नीचे उल्लिखित वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं द्वारा किए गए :--

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	तारीख
1.	फा. 101/66-एसबी	18-10-1967
2.	फा. 18/सं. 9/68-एसबी	30-10-1969
3.	फा.1-26/71/एसी-II	23-5-1974
4.	8/18/77-एसी	31-1-1979
5.	8(9)/80-एसी	7-2-1983
6.	फा.1/22/84-बी.ओ-I	29-3-1985

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2025

G.S.R. 891(E).— In exercise of the powers conferred by section 52 read with clause (zj) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), and after consultation with the Reserve Bank of India, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966, namely: —

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Banking Regulation (Co-operative Societies) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the 15th day of December, 2025.

2. In the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966, (hereinafter referred to as "the said rules"), in rule 2, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -

"(aa) "ineligible director" means a director who does not fulfil the requirements under clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 10-A of the Act.";

3. In the said rules, —

(a)after rule 5, the following rule shall be inserted, namely: –

"5-A. Manners of determination of drawing of lots of director or person who will cease to hold office or removed from the membership of Board of Directors. —

(1) The Board of directors shall ascertain the number of director or directors out of the ineligible directors, who have to cease to hold the office, for the purpose of reconstitution of the Board of directors under sub-section (3) of section 10-A of the Act, as per sub-rule (3) of these rules.

(2) The Reserve Bank shall ascertain the number of person or persons out of the ineligible directors, who are to be removed from the membership of Board of directors for the purpose of composition of the Board of directors in pursuance of sub-section (5) of section 10-A of the Act, as per sub-rule (3) of these rules.

(3) The name of the director or directors and person or persons, as the case may be, who shall be ceased to hold office or removed from the membership of Board of directors, as the case may be, under sub-rule (1) and (2) shall be determined by drawing of lots from among the ineligible directors or the persons, as the case may be.

(4) For the purposes of sub-rule (3), the following procedure shall be followed, namely: –

(a) the names of the ineligible directors shall be grouped according to the period for which the directors have held office;

(b) if there are two such groups only, the names of the directors in the group representing a shorter period of office shall be excluded;

(c) if there are more than two such groups, the names of those in the group representing the shortest period of office shall be excluded:

Provided that such exclusion under clauses (b) or (c) shall not be made if thereby the number of directors whose names are to be included in the draw is not more than the number determined under sub-rules (1) and (2).

(5) The drawing of lots in pursuance of sub-section (3) of section 10-A of the Act shall be done by the Board of directors at a meeting of such Board.

(6) The drawing of lots of the Reserve Bank under sub-section (5) of section 10-A of the Act shall be done by an officer of the Reserve Bank duly authorised in this behalf, and after giving a reasonable opportunity to the co-operative bank to nominate a director or officer of the co-operative bank to be present at the time of the drawing of lots."

(b) rule 11 shall be omitted.

(c) in FORM I, —

(i) under the heading "As at the close of business on" for "First alternate Friday", "Second alternate Friday" and "Third alternate Friday", the following shall be substituted namely: –
"15th day of the month" and "Last day of the month", respectively.";

(ii) in PART A, –

(a) in clause I, in sub-clause (a) in item (i), the words "subsidiary banks and" shall be omitted and after the words "corresponding new banks", the words "and IDBI Bank limited" shall be inserted.'';

(b) in clause III, in sub-clause (a), the words "subsidiary banks and" shall be omitted and after the words "corresponding new banks", the words "and IDBI Bank limited" shall be inserted.";

(iii) in PART B, for clause IX, the following clause shall be substituted, namely:- "IX. Such per cent. of IV, as on the last day of the second preceding fortnight, as notified by the Reserve Bank.";

(iv) in PART C, for clause XI, the following clause shall be substituted, namely:-
"XI. Such per cent. of IV, as on the last day of the second preceding fortnight, as notified by the Reserve Bank.";

(v) in PART D, –
(a) for clause XIII, the following clause shall be substituted, namely: -
"XIII. Such per cent. of IV, as on the last day of the second preceding fortnight, as notified by the Reserve Bank.";
(b) in clause XIV, after sub-clause (e), the following sub-clause shall be inserted, namely: -
"(f) Amount deposited with the Reserve Bank, under Standing Deposit Facility Scheme.";

(vi) after clause XIV, in the Foot Notes, –

(a) in the foot note 2, for the words "an alternate Friday", the words, figures and letter "the 15th or the last day of the month", shall be substituted;

(b) in the foot note 4$, serial number (ii) shall be omitted;

(c) in the foot notes 5X, for the words "Industrial Development Bank of India", the words "the National Housing Bank, the Small Industries Bank" shall be substituted.

(d) in FORM IX, —

(i) for the words "on the last Friday" at both the places where they occurred the words "on the last day * of the month" shall be substituted.",

(ii) in clause A, –

(a) in sub-clause 4, in item (c), sub-item (iii) shall be omitted.

(b) in sub-clause 5, in item (c), sub-item (iii) shall be omitted.

(iii) in clause B, –

(a) in sub-clause 2, for item (b), the following item shall be substituted, namely: -

"(b)with the State Bank of India.";

(b) in sub-clause 3, for item(a), the following item shall be substituted, namely:-

"(a)with the State Bank of India.";

(c) in sub-clause 4, in item (g), for sub-item (i), the following sub-item shall be substituted, namely:-

"(i) the State Bank of India."

(d) for the word "Friday ", the word "day" shall be substituted.".

[F. No. 7/19/2023 (Part-II)-BOA-I]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 1837, dated 21st November, 1966, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide dated 3rd December, 1966 and subsequently amended vide the Ministry of Finance Notifications mentioned below: —

Sl. No.	Notification No.	Date
1.	F.101/66-SB	18-10-1967
2.	F. 18/No. 9/68-SB	30-10-1969
3.	F.1-26/71/AC-II	23-5-1974
4.	8/18/77-AC	31-1-1979
5.	8(9)/80-AC	7-2-1983
6.	F.1/22/84-B. O-I	29-3-1985

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.12.10 22:21:23 +05'30'